PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PRITHVIRAJ CHAVAN): Sir, I rise to announce that the Government Business during the week commencing Monday, the 6th July, 2009 will consist of:-

General Discussion on Budget (Railways) for 2009-10.

————————

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Scarcity of Drinking Water in Darjeeling

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (Bihar): Mr. Deputy Chairman, Sir, the Planning Commission, sometime back, had sanctioned a scheme for lifting water from the Balasan River to meet the long-time drinking water requirement of the hill district of Darjeeling. The project commenced in July 2007, but it has not seen the light of the day and is causing huge distress to the large hill population. Water scarcity is having adverse impact on the health and social well being of the people there. Water scarcity in the hill district of Darjeeling is very acute and deserves an early intervention by the Union Government. This speaks loud on the development which has taken place in North Bengal so much so that this has resulted in implications of raising a separate State for which the people of Gorkha Land have been struggling. They have been agitating for more than three decades now. The aspirations of the people which basically stem from development issues for the plains; the neglect of the Queen of Hills with poor infrastructure, lack of education facilities and neglect of tea gardens coupled with growing discontent in the Doars region and the plains of the hill district is a matter of concern. Recently, when there was Cyclone Aila, 32 people got killed in the landslides, and there was absolutely no infrastructural plan or disaster management plan. As a result, the state of affairs in the region is such that the large hill destination is growing into a slum area. There has been a consistent neglect of the entire region of North Bengal which has created this situation, and this is creating great unrest in that part of the country. Sir, it is a matter which deserves the attention of the House because as we are saying, there is chicken-hack kind of a situation in the State. The State borders three nations; it is a gateway to Bhutan. Being an international border, there are a lot of ramifications and a lot of implications on what is happening in that particular region of North Bengal. And the unrest in that region, which takes place again and again, has created a situation where it is becoming dangerous for the country. Moreover, with a large influx of Bangladeshis in that region, the situation has changed the demographic profile of that area. So, we will request the Union Government to look into the aspects as far as the issue of Ghorkhaland and the issue of the Nepali-lineage Indian citizens are concerned. These are issues which need to be addressed by the Government.

Need to open a Sub Centre of the New mechanism to check Naxlite violence in Chhattisgarh

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़): धन्यवाद उपसभापति जी। मैं छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या के संबंध में कुछ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। 25 फरवरी को माननीय गृह मंत्री जी ने यह बात कही थी कि छत्तीसगढ़ में

उसके आस-पास के राज्यों से बहुत बड़ी संख्या में नक्सली प्रवेश करते हैं और एक प्रकार से छत्तीसगढ़ has virtually become a breeding ground for the Naxalite movement. हमने यह मांग की थी कि आप अनेक स्थानों पर खुफिया तंत्र के केन्द्र खोलने जा रहे हैं और माननीय गृह मंत्री जी देश में वह कर भी रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में खुफिया तंत्र का एक केन्द्र कब तक स्थापित होगा?

महोदय, दूसरी बात यह है कि यहाँ आस-पास के सारे प्रांतों से नक्सली हार्ड कोर आते हैं, उन्होंने भी यह माना है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूँ और यह गुजारिश करता हूँ कि आस-पास के सारे राज्यों से जो नक्सली छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे हैं, उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। केन्द्र सरकार उन सारे राज्यों से बात करे। आस-पास के जंगलों में से वे सब वहाँ प्रवेश करते हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी समस्या निर्मित हो गई है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से, विशेषकर गृह मंत्रालय से यह मांग करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जिस केन्द्र को खोलने की घोषणा उन्होंने की है, वह शीघ्रातिशीघ्र करें और वहाँ खुफिया तंत्र का विकास करें।

दूसरी बात यह है कि वहाँ अन्य राज्यों से बहुत बड़ी संख्या में नक्सली प्रवेश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हार्ड कोर लोग वहाँ प्रवेश कर रहे हैं। उस पर सरकार अविलम्ब रोक लगाये ताकि वहाँ पर शांति स्थापित हो और विकास कार्य आसानी से किया जा सके। धन्यवाद।

Judgement of the Delhi High Court on Section 377 of the IPC

प्रो0 राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश): श्रीमान्, एक ऐसे मुद्दे को उठाने की आपने अनुमति दी है, जिसको उठाने में भी मैं लज्जा महसूस कर रहा हूँ। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है-आई.पी.सी. और सी.आर.पी.सी. की धारा 377 के खिलाफ, इस धारा को अवैध घोषित करते हुए कि यह अनुच्छेद 14, 15 और 21 के खिलाफ है। यह फैसला भारतीय संस्कृति, सभ्यता और शिष्टाचार के खिलाफ है। हमारी जो स्थापित परम्पराएँ हैं, वे सब छिन्न-भिन्न हो जाएँगी। इसके अलावा भी जो बहुत सारे कानून हैं- यहाँ पर बहुत सारे विद्वान बैठे हुए हैं। श्री कपिल सिब्बल साहब हैं, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं, सब जानते हैं कि कई कानून हैं, उत्तराधिकार के नियम हैं, मैरिज एक्ट है और जाने क्या-क्या हैं, वे सब प्रभावित होंगे। इन तमाम कानूनी पेचीदगियों के अलावा हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता में जिन वर्ण संकरों की बात की थी, वे वर्ण संकर भी इसी तरीके से पैदा होंगे जो सारे सिस्टम को नष्ट कर देंगे। इसमें एक और संकट है और वह यह है कि हमारे यहां जो वृद्ध लोग हैं, मां-बाप हैं, उनमें से 95 प्रतिशत केसेज़ में बच्चे अपने मां-बाप की सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए कोई संरक्षण नहीं है, उनकी वृद्धावस्था के लिए किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है। इस निर्णय के बाद, यदि आपने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की, इस निर्णय को नहीं बदलवाया तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि इस देश के वृद्ध लोगों का जीवन काटना मुश्किल हो जाएगा। कल से मैं पढ़ रहा हूं कि इसके कारण कई तरह की बीमारियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी जिनका इलाज तक संभव नहीं हो सकेगा। अभी हमारे मित्र श्री अहलुवालिया जी बता रहे थे कि टी.वी. पर आ रहा था कि "Jai Ho" में "Jai" की जगह "Gay" कर दिया गया है। आखिर ये देश को कहां ले जाने वाले हैं? लोगों ने टेलीविजन चैनल देखना बंद कर दिया है। जिस तरह के लोग इस जजमेंट के पक्ष में विचार दे रहे हैं, उनकी चाल-ढाल, उनके हाव-भाव, उनके चेहरे-मोहरे देखकर लोगों ने टी.वी. देखना बंद कर दिया है। ये कौन लोग हैं, हम किस आधुनिकता में रह रहे हैं? वैसे तो यह कोर्ट का फैसला है, इस फैसले पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन सिब्बल साहब, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आप यह जरूर देख